

398

1

394



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ba7dbe1453728a75c4d2

Receipt Date : 28-Apr-2023 11:09:58 am

Receipt Amount : 16800/-

Amount In Words : Sixteen Thousands Eight Hundred Rupees Only

Token Number : 202300053828

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : INDU MINJ (Vendee)

GRN Number : 2316937284




-: For Office Use :-



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इन्दु मिन्ज
9/05/2023

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद 28/4/23 के माह में प्रमाणित किया गया है।



25/4/23
25/4/23

46.0
1899 को प्रवृत्त
1899 को प्रवृत्त
1899 को प्रवृत्त

Fee Paid
A1 12600/-
Land Lord Fee 03/-
Process Fee 01/-
BN

Valuation Per Decimals
Land 60,000/-
\$

25/4/23

विक्रय सम्पत्ति प्रतिबन्धित मूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।
(अनुसूचित जाति/संज्ञक/आदि)

बिक्रय-पत्र

(परमीशन वाद सं. 584/2022-23 आदेश दिनांक 15.04.2023, 46 C.N.T. Act)

1. लेख्यकारी :- श्री थोमस खेस उम्र 71 वर्ष पिता स्व. इग्नेस खेस दादा स्व. गोन्दआ उरॉव, श्रेणी अनुसूचित जनजाति (सी. एन. टी. एक्ट-1908 के अन्तर्गत आते हैं), पेशा कृषि, निवास ग्राम खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक, आधार नं. - XXXX XXXX 4986, मो. नं. 7070130223

Holding No. - 0060000624000M0

शपथ पत्र संख्या - 248 / 2023


..... बिक्रेता।

Mikheil khes
Nikilasa khes
Salebhata Kankhol
Noxtidol Sambalpur

25/4/23

मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ मिला

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया गया।



अमित खेत
25/4/23
9/05/2023



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

09-05-2023

मैंने अपने दाएँ हाथ के निम्नलिखित निशानों का निशान ()
कनिष्ठा अंगूठा का निशान
अनामिका अंगूठा का निशान
मध्यमा अंगूठा का निशान
तर्जनी अंगूठा का निशान
अंगूठा अंगूठा का निशान
अमित खेत
25/4/23
9/05/2023



2.

2. लेख्यधारिणी :- श्रीमति इन्दु मिंज उम्र 38 वर्ष, पति श्री मंजकन एकका पिता स्व. रावेल मिंज दादा स्व. पत्ते उरॉव श्रेणी अनुसूचित जनजाति (सी. एन. टी. एक्ट-1908 के अन्तर्गत आते हैं), पेशा गृहिणी, निवास ग्राम रोवई थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक, आधार नं. - XXXX XXXX 1953, मो. नं. 9608199514 शपथ पत्र संख्या - 249 / 2023

..... केता।

3. लेख्यप्रकार :- बिक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के लिए होता है।
4. मूल्य :- मोबलिंग 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार रुपये) मात्र।
5. संपत्ति का विवरण :- आवासीय योग्य जमीन संरचना रहित अन्दर मौजा खिजरी सामटोली, वार्ड नं. 06, थाना नं. 105, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा के खाता नं. 96 (छेयानब्बे) प्लॉट नं. 2239 (बाईस सौ उनचालीस) कुल रकबा 0.99 एकड़ में से 0.07 एकड़ (सात डिसमील) आवासीय योग्य जमीन जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है। जमीन का माप उत्तरी भुजा - 41 फीट, दक्षिणी भुजा - 41 फीट, पूर्वी भुजा - 77.5 फीट, पश्चिमी भुजा - 72.5 फीट एवं चौहद्दी निम्न है :-

उत्तर - इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

दक्षिण - प्लॉट नं. 2244,

पूरब - इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम - इसी प्लॉट का अंश।

मौजा	थाना नं.	थाना	जिला	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
खिजरी सामटोली	105	सिमडेगा	सिमडेगा	96	2239	0.07 ए.

निर्दिष्ट शर्तें
पति - स्व. - कुलमानन्द रोवई
ग्राम - सामटोली (रोवई)
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा
26/4/23

21/02/23
26/4/23

कुल एक खाता का एक प्लाट का कुल रकबा 0.07 एकड़ (सात डिसमील) कुल मालगुजारी 50 पैसा प्रति वर्ष अलावे सेस। वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय योग्य जमीन है जिसपर किसी प्रकार का मकान निर्माण या संरचना या पेड़-पौधा नहीं है। उक्त जमीन को पूर्व में अन्यत्र विक्री, दान, एकरारनामा, बंधक या लीज नहीं किया गया है।

1. चूंकि मुझे लेख्यकारी को मकान निर्माण हेतु रुपयों की सख्त जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था बिना जमीन बेचे रुपैया मिलने की कोई अन्य उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी उक्त वर्णित जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।
2. इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रह कर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत पाकर बेचा व बेची गयी जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गयी जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आईन्दा रहेगा।
3. चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी एवं लेख्यधारिणी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अतः जमीन बिक्री से पूर्व मैंने सी. एन. टी. एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद सं. 584/2022-23 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृति दिनांक 15/04/2023 को हुई और मेमो नं. 142(ii) दिनांक 15/04/2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।
4. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी कायमी है जिसका खतियान मेरे दादा गोन्दआ उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है। मेरे दादा, पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन आपसी मौखिक भैयादी बंटवारा में मुझे प्राप्त हुआ तथा कार्यालय अंचल अधिकारी सिमडेगा के उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद सं 412 आर 27/2002-2003 तिथि 15/03/2003 ई. के द्वारा दाखिल खारिज होकर मालगुजारी की रसीद मेरे

2/18/2023
 25/4/23

माई अंजोर खेस वगैरह के नाम से कटती है। जो पंजी ॥ के मोत्युम सं. 06 पृष्ठ सं. 77 में दर्ज है। जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल व कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है।

5. अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारीज करा कर तारीख लेख्य से व अदाय मातगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

6. इसलिए यह बिक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित जमीन भू-हदबन्दी, कैसर-ए-हिन्द, खास महाल, भूदान, गैरमजरूआ, लीज, वन भूमि या किसी प्रकार के प्रतिबंधित सूची से संबंधित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - 21/5/2023
25/4/23



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के द्वारा
बाल का पंचांग अंगुलिमा का छाप मेरे सामने
लिखा गया।

संजय कुमार मल्ल
अध्यक्ष
21/04/2023

21/5/2023
25/4/23

5.

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - इन्दु सिंघ
25/4/23




Indu Singh
25/4/23



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांके खाता का पांचों अंगुलियों का दायं मेरे समक्ष लिखा गया।
संजय कुमार मल्लो
अध्यक्ष

पहचानकर्ता - Mikhail Khes 25/04/2023
25/4/23



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता के बांके खाता का पांचों अंगुलियों का दायं मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार मल्लो
अध्यक्ष
25/04/2023

6.

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस बिक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया वो स्वयं भी पढ़ कर दस्तावेज स्वीकार किये।

हस्ताक्षर/- राजेश कुमार प्रसाद
(प्रारूपकर्ता) अधिवक्ता

तारीख - 25/04/2023

राजेश कुमार प्रसाद
25/4/23

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 6 पृष्ठों में टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

टंकक - दर्शन बैठा
25-04-2023

दर्शन बैठा
कचहरी परिसर, सिमडेगा।

अनुलग्नक

1. शेडयूल का मूल प्रति
2. अंतिम आदेश एवं अंचल जांच प्रतिवेदन का सच्ची प्रतिलिपि
3. मालगुजारी रसीद का छाया प्रति
4. खतियान का छाया प्रति
5. होल्लिंग टैक्स रसीद का छाया प्रति
6. ट्रेश नक्शा का मूल प्रति
7. सर्वे नक्शा का छाया प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता या कानूनन एवं अभिप्रमाणित फोटोयुक्त प्रमाणित दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है जो विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सही है। अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं त्रुटिपूर्णता का कारण पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

Selb Thomas Khes give his
Signature in Wriya Language. I
Identified her signature

राजेश कुमार प्रसाद
9/05/2023